न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 832 सन 2024

अनवान :—

1. मस्तराम पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
2. बद्रीराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
3. रामलाल पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. गोरीशंकर पुत्र सन्तोष पत्नी रामचन्द पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. चुकी पुत्री सन्तोष पत्नी रामचन्द पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. देवकी पुत्री सन्तोष पत्नी रामचन्द पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. मानसिह पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
6. मोहनीदेवी पत्नी लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
7. सुमन पुत्री सन्तोष पत्नी रामचन्द पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
8. सुंशीला पुत्री संन्तोष पत्नी रामचन्द पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. सावित्री पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
10. सोना पुत्री विमलादेवी पत्नी काशीराम पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :— 12/11/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 17 की 56.00 बीधा भूमि रावताराम वल्द उदराम जाति जाट नोहर के द्वारा नोतोड करदा कब्जा काश्त भूमि थी जो वादीगण के पूर्वज है वाद भूमि रोही मोजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 17 की 56.00 बीधा भूमि वादी के पूर्वज रावताराम पुत्र उदाराम के लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही थी।

वादी के पूर्वज रावताराम वल्द उदाराम के नोतोड करदा भूमि उनके कब्जा काश्त में रही रावताराम वलद उदाराम के देहान्त होने पर उनके पुत्र लाधुराम व ब्रदीराम के उक्त भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही थी।

रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 17 की 56.00 बीधा भूमि जो लाधुराम पुत्र ब्रदीराम दोनो भाईयों के कब्जा काश्त में चली आ रही थी में से खसरा न0 17 की 18 बीधा भूमि लाधुराम पुत्र रावतराम को दिनांक 18.08.1968 को आवंटन कर दी गई जबकि उक्त भूमि दोनो भाईयों के कब्जा काश्त में चली आ [illegible] सहवन से आवंटन आदेश में एक भाई लाधुराम पुत्र रावताराम का अंकन हो गया था।

रावताराम वल्द उदाराम के [illegible] सुरजनसर के साबिका खसरा न0 17 की 56.00 बीधा नोतोड की गई थी जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही थी रावताराम के देहान्त होने पर उसके दोनो पुत्रों लाधुराम व ब्रदीराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है रावताराम के पुत्र लाधुराम का देहान्त हो चुका है तथा लाधुराम की एक पुत्री सन्तोष का भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

देहान्त हो चुका है इसलिये लाधुराम के जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 1 ,3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 है इसप्रकार वाद भूमि जो रावताराम के द्वारा नोतोड करदा है वह वर्तमान में रावताराम के वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में लगातार चली आ रही है।

रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 17 की 56 बीधा भूमि का हाल पैमाईश में हाल खसरा न0 110 की 56.00 बीधा में पैमुद किया गया था तथा वाद भूमि के अलावा अन्य शेष भूमि के खातेदार अधिकार दिये जा चुके केवल वाद भूमि ही बतौर गैरखातेदार दर्ज है तथा वर्तमान में खसरा न0 110 मे से चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल निकलने पर रावताराम के द्वारा नोतोड भूमि में से कुछ भूमि को नहर के नाम दर्ज कर दिया गया तथा खसरा न0 110 मे तरमीम होने पर वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि को रोही मौजा सुरजनसर के खसरा न0 110/7 की 2.0240हैक खसरा न0 110/9 की 0.4060हैक व खसरा न0 570 की 2.1240हैक कुल 4.5540हैक भूमि में पैमुद किया जा चुका है।

रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 17 की 56 बीधा भूमि जो वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के पूर्वज रावताराम के द्वारा नोतोड करदा सम्वत 2012 से पूर्व की भूमि थी जो पूर्व में रावताराम एव रावताराम व उसके पुत्र लाधुराम व उसकी पुत्री सन्तोष के देहान्त होने पर वर्तमान में वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा साबिका खसरा न0 17 की 56.00 बीधा में से केवल वाद भूमि को ही गैरखातेदार दर्ज कर रखा है शेष भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जा चुका है।

वाद भूमि वादीगण को अपने पिता व दादा से विरास्तन से प्रप्त हुई रावताराम पुत्र उदाराम की सम्वत 2012 से पूर्व कब्जे काश्त की भूमि है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण वाद भूमि को बतौर खातेदर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा भूमि है जिसे वादीगण के पूर्वज बिडदसिह ने निकाली थी तब से लेकर आज तक पूर्व में बिडदसिह एव उसके वाद बनेसिह एव वर्तमान में वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वाद भूमि वादीगण के पूर्वजों रावताराम के द्वारा सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि है जिसके वे खातेदार काश्तकार हो चुके है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण अपने कब्जा काश्त की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या संख्या 337/337 के खसरा न0 110/7 की 2.0240हैक खसरा न0 110/9 की 0.4060हैक व खसरा न0 570 की 2.1240हैक कुल 4.5540हैक भूमि वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की रोही मौजा सुरजनसर के खसरा न0 110/7 की 2.0240हैक खसरा न0 110/9 की 0.4060हैक व खसरा न0 570 की 2.1240हैक कुल 4.5540हैक भूमि भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र के अन्तर्गत आती है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज अराजी काश्तकार टिनेन्सी एक्ट एवं उपनिवेशन अधिनियम के [illegible] खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है उपनिवेशन क्षेत्र में आने [illegible] उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अ[illegible] किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:18 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 17 की 56.00 बीधा भूमि रावताराम वल्द उदराम जाति जाट नोहर के द्वारा नोतोड करदा कब्जा काश्त भूमि थी जो

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण के पूर्वज है वाद भूमि रोही मोजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 17 की 56.00 बीधा भूमि वादी के पूर्वज रावताराम पुत्र उदाराम के लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही थी।

वादी के पूर्वज रावताराम वल्द उदाराम के नोतोड करदा भूमि उनके कब्जा काश्त में रही रावताराम वलद उदाराम के देहान्त होने पर उनके पुत्र लाधुराम व ब्रदीराम के उक्त भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही थी।

रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 17 की 56.00 बीधा भूमि जो लाधुराम पुत्र ब्रदीराम दोनो भाईयों के कब्जा काश्त में चली आ रही थी में से खसरा न0 17 की 18 बीधा भूमि लाधुराम पुत्र रावतराम को दिनांक 18.08.1968 को आवंटन कर दी गई जबकि उक्त भूमि दोनो भाईयों के कब्जा काश्त में चली आ रही थी सहवन से आवंटन आदेश में एक भाई लाधुराम पुत्र रावताराम का अंकन हो गया था वाद भूमि वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि है।

रावताराम वल्द उदाराम के द्वारा रोही मोजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 17 की 56.00 बीधा नोतोड की गई थी जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही थी रावताराम के देहान्त होने पर उसके दोनो पुत्रों लाधुराम व ब्रदीराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है रावताराम के पुत्र लाधुराम का देहान्त हो चुका है तथा लाधुराम की एक पुत्री सन्तोष का भी देहान्त हो चुका है इसलिये लाधुराम के जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 1 ,3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 है इसप्रकार वाद भूमि जो रावताराम के द्वारा नोतोड करदा है वह वर्तमान में रावताराम के वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में लगातार चली आ रही है।

रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 17 की 56 बीधा भूमि का हाल पैमाईश में हाल खसरा न0 110 की 56.00 बीधा में पैमुद किया गया था तथा वाद भूमि के अलावा अन्य शेष भूमि के खातेदार अधिकार दिये जा चुके केवल वाद भूमि ही बतौर गैरखातेदार दर्ज है तथा वर्तमान में खसरा न0 110 मे से चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल निकलने पर रावताराम के द्वारा नोतोड भूमि में से कुछ भूमि को नहर के नाम दर्ज कर दिया गया तथा खसरा न0 110 मे तरमीम होने पर वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि को रोही मौजा सुरजनसर के खसरा न0 110/7 की 2.0240हैक खसरा न0 110/9 की 0.4060हैक व खसरा न0 570 की 2.1240हैक कुल 4.5540हैक भूमि में पैमुद किया जा चुका है।

रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 17 की 56 बीधा भूमि जो वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के पूर्वज रावताराम के द्वारा नोतोड करदा सम्वत 2012 से पूर्व की भूमि थी जो पूर्व में रावताराम एव रावताराम व उसके पुत्र लाधुराम व उसकी पुत्री सन्तोष के देहान्त होने पर वर्तमान में वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा साबिका खसरा न0 17 की 56.00 बीधा में से केवल वाद भूमि को ही गैरखातेदार दर्ज कर रखा है शेष भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जा चुका है।

वाद भूमि वादीगण को अपने पिता व दादा से विरास्तन से प्रप्त हुई रावताराम पुत्र उदाराम की सम्वत 2012 से पूर्व कब्जे काश्त की भूमि है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण वाद भूमि को बतौर खातेदर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा भूमि है जिसे वादीगण के पूर्वज बिडदसिह ने निकाली थी तब [illegible] बिडदसिह एव उसके वाद बनेसिह एव वर्तमान में वादीगण के कब्जा काश्त में [illegible] रही है।

वाद भूमि वादीगण के [illegible] 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि है जिसके वे खातेदार काश्तकार हो चुके है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण अपने कब्जा काश्त की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज को बतौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमावे।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरबीजे 2012 पेज 438 ,आरआरटी 2006 पेज 802 , आरबीजे 2008 पेज 42, आरबीजे 2014 पेज 1220 प्रस्तुत किये गये।

पेरोकार राज तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा सुरजनसर के खसरा न0 110/7 की 2.0240हैक खसरा न0 110/9 की 0.4060हैक व खसरा न0 570 की 2.1240हैक कुल 4.5540हैक भूमि वर्तमान में रोही मौजा भूकरका उपनिवेशन क्षैत्र के अन्तर्गत आती है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज अराजी काश्तकार टिनेन्सी एक एवं उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है उपनिवेशन विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के अधीन खातेदारी अधिकार कीमतन पाने का अधिकारी है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सुरजनसर की जमाबन्दी सम्वत 2012 के खाता संख्या 22 के साबिका खसरा न0 17 की 56 बीधा भूमि वादीगण के पूर्वज रावताराम वल्द उदाराम के नाम अराजी काश्त के रूप में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 ,2016, 2024 एवं भू0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दीयों /गिरदावारीयो से पूर्णतया साबित है उक्त कथनों को पेरोकार राज के द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

भू–प्रबन्धक विभाग के द्वारा पैमाईश के दोरान रोही मोजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 17 की 56.00 बीधा के हाल खसरा न0 110 की 56.00 बीधा में पैमुद की गई थी जो सर्वे खसरा से पूर्णत्या साबित है तथा बीधा को हैक्टयर में परिर्वतन करने के उपरान्त व चौधरी कुम्भाराम आर्य कैनाल में भूमि दर्ज होने के बाद तरमीम करने पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा सुरजनसर के खसरा न0 110/7 की 2.0240हैक खसरा न0 110/9 की 0.4060हैक व खसरा न0 570 की 2.1240हैक कुल 4.5540हैक वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 के नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से साबित है जिसके सम्बध में पेरोकार राज ने भी स्वीकार किया है।

वादीगण के पूर्वज रावताराम वल्द उदाराम जाति जाट का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके दो पुत्र लाधुराम व ब्रदीप्रसाद हुई जिसमें से लाधुराम एवं उसके पुत्री सन्तोष का देहान्त हो चुका है तथा रावताराम पुत्र उदाराम के वर्तमान में जायज वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 है जिसके सम्बध में पेरोकार राज के द्वारा भी किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है तथा वादीगण के द्वारा प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एव वारिस प्रमाण पत्र से साबित है तथा रावताराम वल्द उदाराम के वारिसान के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज भी प्रस्तुत नही हुआ है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के अनुसार रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 17 की कुल 56.00 बीधा भूमि सम्वत 2012 से लगातार आदिनांक तक पहले वादीगण के पूर्वज रावताराम वल्द उदराम के कब्जा काश्त में रही तथा रावताराम व उसके पुत्र लाधुराम तथा उसकी पुत्री सन्ताेष के देहान्त होने के बाद वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों गिरदावारीयों /मोका रिपोर्ट से पूर्णत्याा साबित है तथा परोकार राज ने भी वाद भूमि के कब्जा काश्त के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी [illegible] 15.10.1955 को लागू किया गया था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की [illegible] से 19 में प्रावधान किया गया था कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तक[illegible] जिस भूमि पर काबिज था उसे उस भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रावताराम वल्द उदाराम के वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही कब्जा काश्त में थी अर्थात

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सम्वत 2012 से 2015 से पूर्व से ही वाद भूमि कब्जा काश्त में रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो /गिरदावरीयों से साबित है

तहसीलदार का दायित्व था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो 15.10.1955 को लागू हुआ था के प्रावधानों के अनुसार उस समय जो भूमि जिस काश्तकार के कब्जा काश्त में थी को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता यदि नही किया गया है तो काश्तकार के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है वह कभी भी अपने हको की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण के पूर्वज रावताराम वल्द उदाराम के कब्जा काश्त की सम्वत 2012 से पूर्व की खसरा न0 17 की 56.00 बीधा भूमि में से वाद भूमि के अलावा शेष भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है तथा रावताराम वल्द उदाराम के द्वारा नोतोड की गई भूमि में से रावताराम के एक पुत्र लाधुराम वल्द रावताराम के नाम आवंटन आदेश जारी किया गया था जिसके सम्बध में वादीगण का कथन है वाद भूमि रावताराम के वारिसान लाधुराम एवं ब्रदीराम दोनो के कब्जा काश्त में है तथा वर्तमान में वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में है आवंटन आदेश में सहवन से एक नाम लाधुराम दर्ज हुआ है जबकि रावताराम के दोनो पुत्रों लाधुराम व बद्रीराम का नाम अंकन होना चाहिये था तथा दोनो के ही वाद भूमि लगातार कब्जा काश्त में है जो जमाबन्दीयों /गिरदावारियो सें प्रमाणित भी है व वर्तमान रिकार्ड में रावताराम के सभी वारिसान के नाम बतोर गैरखातेदार दर्ज है एक लाधुराम के स्थान पर रावताराम के सभी वारिसान को बतौर खातेदार दर्ज करवाने के लिये सहमत भी है एवं न्यायाहित व विधि सम्मत भी है ताकि परिवारिक विवाद ना हो सके।

वादीगण का कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दिनांक 15.10. 1955 को लागू किया गया था जिसमें प्रावधान था कि उक्त दिनांक के काश्तकारों को निशुल्क बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे पेरोकार राज ने उक्त कथन है विरोध करते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान में रोही मौजा सुरजनसर उपनिवेशन क्षैत्र धोषित हो चुका है इसलिये उपनिवेशन नियमों के तहत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है उपनिवेशन क्षैत्र में आने वाली भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य हकों को सुरक्षित रखने हेतु निम्न परिपत्रों के अनुसार ही दिये जाने उचित है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादीगण के पिता/पूर्वज के कब्जा काश्त की भूमि बारानी क्षेत्र में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादीगण उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया एवं सम्तव 2012 से पूर्व के कब्जा काश्त की भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादीगण उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादीगण इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखडा नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित एव सम्वत 2012 से पूर्व के कब्जा काशत में थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 ज[illegible] बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत [illegible] जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अ[illegible] इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरें लागू [illegible] अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

“Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:18 IST
Reason: SelfAttested

allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादीगण के पूर्वज रावताराम वल्द उदाराम (जो अन्य पिछडा वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 17 हाल खसरा न0 110/7 की 2.0240हैक्‍ खसरा न0 110/9 की 0.4060हैक्‍ व खसरा न0 570 की 2.1240हैक्‍ कुल 4.5540हैक्‍ भूमि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था कि धारा 15 से 19 के प्रावधानो के अनुसार जो काश्तकार 15.10.1955 अर्थात सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी /गिरदावारीयों में बतौर काश्तकार दर्ज था एव भूमि कब्जा काश्त में थी को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाने का प्रावधान किया गया था वादीगण के पूर्वज रावताराम वल्द उदेराम के वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व से ही वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही थी जो प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है अर्थात वादीगण के पूर्वज के रावताराम वल्द उदेराम के वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय कब्जा काश्त मे होने के कारण वादीगण के पूर्वज वाद भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी थे यदि किसी कारणवंश वाद भूमि बतौर खातेदार दर्ज नही करने से वादीगण के पूर्वजों के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है बल्की वह कभी भी अपने हकों की घोषणा करवाकर वाद भूमि को बतौर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है किन्तु वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आने के कारण समय समय पर जारी परिपत्रों के परिपेक्ष्य में भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2012 पेज 438 ,आरआरटी 2006 पेज 802 , आरबीजे [illegible], आरबीजे 2014 पेज 1220 प्रस्तुत किये गये

उक्त दृष्टान्तों में भी प्रतिपादित किया गया है कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था कि धारा 15 ,19 के प्रावधानों के अनुसार जो काश्तकार सम्वत 2012 से 2015 या उससे पूर्व की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जमाबन्दीयो/गिरदावरीयो में बतौर काश्तकार दर्ज है और भूमि कब्जा काश्त में है को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

वादीगण के पूर्वज रावताराम वल्द उदेराम के वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय बतौर काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज था एव भूमि कब्जा काश्त में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन एव प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित हो चुका है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वाद भूमि वादीगण के पूर्वज रावताराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी एव कब्जा काश्त में होना भी साबित है अर्थात वादीगण वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है किन्तु वाद भूमि जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है राज्यहको के मध्यनजर वादीगण राज्य सरकार के द्वारा ऐसी भूमियो के खातेदारी अधिकारी दिये जाने के लिये समय समय पर परिपत्र/अधिसूचनाऐं जारी की गई है के परिपेक्ष्य में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबुतों के आधार पर एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के परिपक्ष्य में साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 337/337 के खसरा न0 110/7 की 2.0240हैक खसरा न0 110/9 की 0.4060हैक व खसरा न0 570 की 2.1240हैक कुल 4.5540हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:18 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– पंकज गढवाल (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मस्तराम पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
2. बद्रीराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
3. रामलाल पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. गोरीशंकर पुत्र सन्तोष पत्नी रामचन्द पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. चुकी पुत्री सन्तोष पत्नी रामचन्द पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. देवकी पुत्री सन्तोष पत्नी रामचन्द पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. मानसिह पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
6. मोहनीदेवी पत्नी लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
7. सुमन पुत्री सन्तोष पत्नी रामचन्द पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
8. सुंशीला पुत्री संन्तोष पत्नी रामचन्द पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. सावित्री पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
10. सोना पुत्री विमलादेवी पत्नी काशीराम पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 832 सन 2024 निर्णय दिनांक – 12/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 337/337 के खसरा न0 110/7 की 2.0240हैक खसरा न0 110/9 की 0.4060हैक व खसरा न0 570 की 2.1240हैक कुल 4.5540हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

निर्णय आज दिनांक 12/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)